महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-36/2015/1329/38-4-15-36(विविध)/2015

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 07 दिसम्बर, 2015**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों के निर्धारण सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1272/वि0का0/लो0ग्रा0यो0/2015, दिनांक-22-09-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-544/141/स0ग्रा0वि0वि0/2015, दिनांक-11-02-2015 के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-285/26-3-2014-3(15)/2007-टी0सी0, दिनांक-03-03-2014 में उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश राज्य की 17 जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्दु, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिस पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। उक्त 17 जातियों के पात्र व्यक्तियों के उत्थान हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1533/52-3-2013-सा(30)/13, दिनांक-24-08-2013 के तर्ज पर राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के नियमों में कोई शिथिलीकरण न करते हुए 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ उक्त शासनादेश दिनांक-03-03-2014 के प्रस्तर-2 की सूची के क्रमांक-10 में वर्णित ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित योजना यथा-अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, 2-ग्रामीण पेयजल योजना, 3-हैण्डपम्प एवं 4-लोहिया ग्रामीण आवास योजना में प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- तत्क्रम में वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में समग्र ग्राम विकास विभाग के उपरोक्त पत्र दिनांक-11-02-2015 के द्वारा उपरोक्त 17 जातियों के पात्र व्यक्तियों के उत्थान हेतु नियमों में कोई शिथिलीकरण न करते हुए 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों के निर्धारण में उपरोक्त 17 जातियों को 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ प्रदान किये जाने हेतु लोहिया ग्रामीण आवास योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-30/2015/1138/38-4-15-05(बजट)/2012, दिनांक-14-09-2015 के प्रस्तर-(3) के वर्तमान प्राविधान के अन्तर्गत समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश दिनांक-11-02-2015 में संलग्न समाज कल्याण विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक-03-03-2014 के प्राविधान के अनुसार उपरोक्त 17 जातियों के पात्र व्यक्तियों के उत्थान हेतु नियमों में कोई शिथिलीकरण न करते हुए 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या-36/2015/1329(1)/38-4-2015, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9- निदेशक, पंचातीराज, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
14- नेशलन इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।
15- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
16- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र गौतम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।